राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 1035/2021

1. भगवती देवी पत्नी स्व. श्री रामकुमार उम्र 90 साल जाति गुर्जर निवासी देवता तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. रामप्रताप पुत्र स्व. रामकुमार उम्र 66 साल जाति गुर्जर निवासी देवता तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. मूलचन्द पुत्र स्व. रामकुमार उम्र 64 साल जाति गुर्जर निवासी देवता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. महावीर पुत्र स्व. रामकुमार उम्र 60 साल जाति गुर्जर निवासी देवता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. रामसिंह पुत्र स्व. रामकुमार उम्र 57 साल जाति गुर्जर निवासी देवता तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. रामस्वरूप पुत्र सुल्तान उम्र 64 साल जाति गुर्जर निवासी देवता तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. नत्थूराम पुत्र सुल्तान उम्र 48 साल जाति गुर्जर निवासी देवता तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. रोहताश पुत्र अर्जुन उम्र 58 साल जाति गुर्जर निवासी देवता तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. श्योचन्द पुत्र अर्जुन उम्र 54 साल जाति गुर्जर निवासी देवता तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. जयदयाल पुत्र अर्जुन उम्र 46 साल जाति गुर्जर निवासी देवता तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0

______ आवेदकगण

ब–ना–म

भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतडी तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0

______अनावेदक

<u>आवेदन पत्र नक्शा दुरूस्ती</u>
अ0धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

–: निर्णय :– **दिनांक : 20–09–2022**

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम देवता तहसील खेतडी स्थित भूमि ज[illegible] के हाल खाता संख्या 142 के खसरा नंबर 1054/433 रकबा 0.42 है., ख.नं. 105[illegible] रकबा 0.20 है., ख.नं. 1059/845 रकबा 0.48 है., ख.नं. 1061/847 र[illegible] रकबा 1.65 है. के वादी संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज [illegible] ग्राम देवता तहसील खेतडी स्थित जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 308 के हाल खसरा [illegible] 1053/433 रकबा 0.42 है., ख.नं. 1057/627 रकबा 0.20 [illegible] ख.नं. 1062/847 रक[illegible] है. ख.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:35:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

Scanned with OKEN Scanner

1064/848 रकबा 0.63 है, कुल किता 4 कुल रकबा 1.98 है. के वादी संख्या 6 व 7 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम देवता स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 268 के हाल खसरा नंबर 1055/433 रकबा 0.42 है., ख.नं. 1058/627 रकबा 0.20 है., ख.नं. 1060/845 रकबा 0.35 है., ख.नं. 1063/848 रकबा 1.020 है कुल किता 4 कुल रकबा 1.99 है. के वादी संख्या 8 लगा. 10 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2018 में वादीगण का सहमति से विभाजन किया गया था तब हाल खाता संख्या 83 में जो भूमि वादीगण के पूर्वजों के बताये अनुसार ही विभाजन हुआ था मगर नक्शे में खसरा नंबर गलत चढ़ा दिए है उसमें खसरा नंबर 1053/433 वादी सं. 6 रामस्वरूप के चढ़ायें गये हैं जबकि कब्जे के अनुसार वादी सं. 6 रामस्वरूप के खसरा नंबर 1054/433 पर कब्जा व काबिज काश्त है व खसरा नंबर 1054/433 पर वादी सं. 2 रामप्रताप के हिस्से में चढ़ाये गये हैं जबकि वादी सं. 2 रामप्रताप का भूमि खसरा नंबर 1055/433 पर काबिज काश्त है व खसरा नंबर 1055/433 रोहिताश के हिस्से में चढाये गये हैं जबकि वादी सं. 8 रोहिताश का खसरा नंबर 1053/433 पर काबिज काश्त है व खसरा नंबर 1062/847 व ख.नं. 1064/848 पर वादी सं. 6 रामस्वरूप व ख.नं. 1061/847 पर वादी सं. 2 रामप्रताप व ख.नं. 1063/848 पर वादी सं. 8 रोहताश व अन्य काबिज खातेदार हैं। वादीगण में कब्जे व रकबा का कोई विवाद नहीं है राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने जो हाल नक्शा राजस्व अभियान प्रशासन गांवों के संग अभियान 2018 में बनाया है व पक्षकारान के कब्जे के अनुसार नहीं बनाया है जिसे दुरुस्त कर मौके अनुसार बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाकर प्रार्थना पत्र के खण्ड नंबर 4 के अनुसार नक्शा दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतडी ने जरिये पत्रांकः राजस्व/2022/86 दिनांक 11–05–2022 से बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो निम्नानुसार है कि :–

1. मुताबिक राजस्व रिकार्ड के राजस्व ग्राम देवता में गत जमाबन्दी अनुसार ख.नं. 433, 847, 848 मूल नम्बर थे जिनका खातेदारों द्वारा आपसी सहमति में खाता विभाजन करवा लेने पर नये खसरा नंबर 1053/433, 1054/433, 1055/433, 1061/847, 1062/847, 1063/848 व 1064/848 बने जो संलग्न जमाबंदी अनुसार सम्बंधित खातेदारों की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जो सही है।
2. उक्त खसरा नंबरान का नक्शा शीट में अमल करने समय सहवन से 1053/433 के स्थान पर 1054/433, 1054/433 के स्थान पर 1054/433, 1054/433 के स्थान पर 1055/433, 1055/433 के स्थान पर 1053/433, 1061/847 के स्थान पर 1062/847, 1062/847 के स्थान पर 1061/847, 1063/848 के स्थान पर 1064/848 व 1064/848 के स्थान 1063/848 दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज हुए हैं जिनकी वर्तमान नक्शा शीट की स्थिति व प्रस्तावित शुद्ध प्रविष्टि की स्थिति संलग्न नजरी नक्शा अनुसार है। नियमानुसार शुद्धिकरण किया जाना उचित है।

तहसीलदार, खेतडी ने उक्त रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का जसरापुर की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा संलग्न कर पेश की है।

प्रार्थीगण ने साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता सं. 142, खाता सं. 308, खाता सं. 268, खाता सं. 83 ग्राम देवता, नकल विभाजन प्रस्ताव मय ट्रेस नक्शा किश्तवार, नकल जमाबन्दी संवत् 2070–2073 खाता सं. 130 ग्राम देवता पेश किये।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण [illegible] प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा राजस्व [illegible] आद्योपान्त परीक्षण किया गया। प्रार्थीगण पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त [illegible] गये विभाजन प्रस्ताव क्रमांक: भू.अ./18/238 दिनांक 15.05.2018 [illegible] दिनांक 15.05.2018 के तथा विभाजन के पश्चात् निर्मित नये [illegible] निम्नानुसार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:35:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

क्र.सं.	खातेदार / पक्षकारान का नाम	खसरा नंबर व रकबा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार	विभाजन के पश्चात निर्मित नये खसरा नम्बरों की स्थिति
1	रामकुमार फौत– वर्तमान में प्रार्थीगण सं. 1 से 5	433 / 2 – 0.42 627 / 1 – 0.20 845 / 1 – 0.48 847 / 1 – 0.55 कुल रकबा–1.65	1055 / 433 1056 / 627 1059 / 845 1062 / 847
2.	सुलतान फौत – वर्तमान में प्रार्थीगण सं. 6 से 7	433 / 1 – 0.42 627 / 2 – 0.20 847 – 0.73 848 / 2 – 0.63 कुल रकबा– 1.98	1054 / 433 1057 / 627 1061 / 847 1064 / 848
3.	अर्जुन फौत – वर्तमान में प्रार्थीगण सं. 8 से 10	433 – 0.42 627 / 3 – 0.20 845 / 2 – 0.35 848 / 1 – 1.02 कुल रकबा 1.99	1053 / 433 1058 / 627 1060 / 845 1063 / 848

विभाजन प्रस्ताव व संलग्न नक्शा विभाजन दिनांक 15.05.2018 व वर्तमान नक्शा किश्तवार के अवलोकन से साबित है कि वर्तमान नक्शा किश्तवार दिनांक 15.05.2018 के सहमति विभाजन के अनुसार सही है। वर्तमान नक्शा में विभाजन प्रस्ताव नक्शा दिनांक 15.05.2018 के मुताबिक सही अंकन हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। प्रार्थीगण ने सहमति से दिनांक 15.05.2018 को हुये विभाजन के अनुसार वर्तमान नक्शा किश्तवार को गलत ठहराया है तथा उसी अनुसार तहसीलदार, खेतड़ी ने भी अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 11.05.2022 में वर्तमान नक्शा किश्तवार को गलत ठहराया है जो अनुचित है। अब प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये वादग्रस्त भूमि के वर्तमान नक्शे को गलत बताकर दुरुस्त करवाना चाहते है जो विधिसम्मत नहीं है। चूंकि वर्तमान नक्शा किश्तवार विभाजन के नक्शा दिनांक 15.05.2018 के अनुरूप सही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजस्व रिकार्ड के स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है लिहाजा

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती नक्शा साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:35:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner